वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

Annual Administrative Report

2021

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2—3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3—9
4.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालयः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	10
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	11
6.	संगठनात्मक चार्ट	12
7.	संगठनात्मक स्वरूप	13
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	14
9.	प्रकरण सांख्यिकी	15—16
10.	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	17—25
11.	घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण	26—32
12.	राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क	33
13.	वर्ष 2021 में क्रय उपकरणों की सूची	34
14.	विशेष पहल, वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजना	35

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान निदेशालय
वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45ः न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः—

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार '' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए

विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/ उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें जोधपुर में 6, उदयपुर, व बीकानेर में 5, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 3 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 421 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 41, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 54 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 195 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2021 में 42078 अपराध प्रकरणों के 2,15,197 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2021 में कुल 1789 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में विशिष्ट फोरेंसिक क्षेत्रों में कुल 13 खण्ड है, जिनमें

अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं उपकरणों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

डी.एन.ए. खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः–हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए जीन सिक्वेंसर पर कार्य करते वैज्ञानिक

क्यूआरटी डी.एन.ए टीम – विशेष रूप से 12 वर्ष तक के अबोध बालक–बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु।

जीन सीक्वेंसर पर डीएनए एनालिसिस करती क्यूआरटी

(2) भौतिक साक्ष्यः– शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े–गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम–विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक–अंग, मिट्टी आदि।

(3) उपकरणः– ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी. आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, क्वान्टस, प्लेटसेन्ट्रीफ्यूज, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

जैविक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

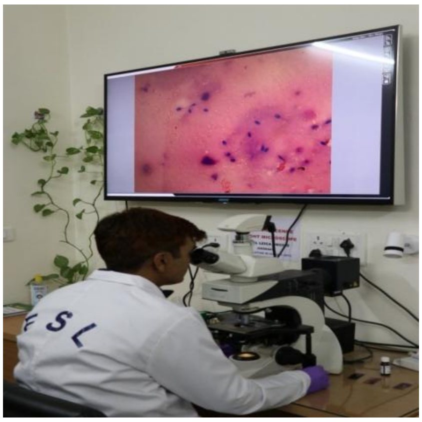

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :– वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, अन्य शारीरिक द्रव जैसे रक्त लार आदि लगे कपडे बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, सडे गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से प्राप्त उत्तक–अंग, त्वचा, भ्रूण, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी,

बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) उपकरणः— हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—इंटरनेट जनित ई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिग/ डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ— सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी. फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/ प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

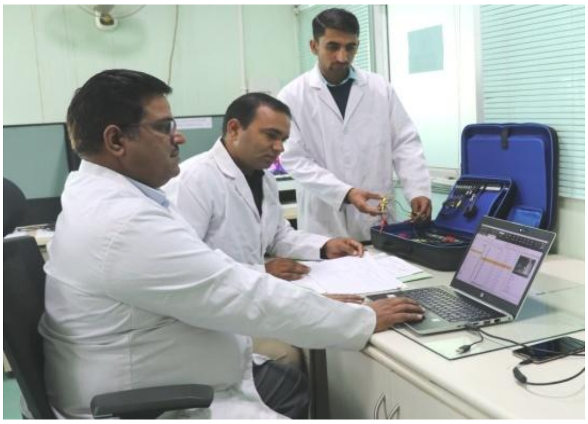

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स.आर.वाई. साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः—साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) उपकरणः— कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर— एनकेस फोरेंसिक वर्जन 21.2, एफ.टी. के. इंटरनेशनल वर्जन 7.0, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर—एक्स. आर. वाई. वर्जन 10.0, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 5.8, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 3.0.7 वी.डी. एक्सपर्ट विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेजिंग डिवाईस : टी.एक्स 3, फालकॉन, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307, 323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्यः— शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :— माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट—पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

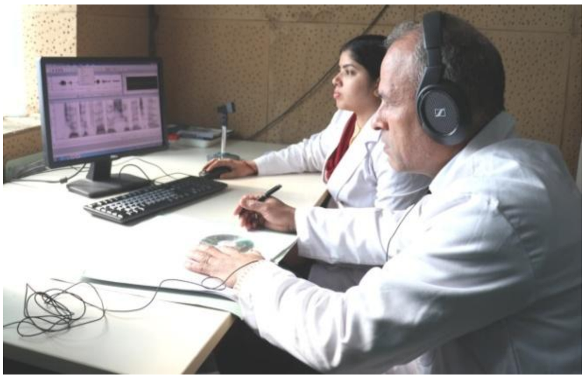

सीएसएल उपकरण पर आवाज (वाणी) का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य :— मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़—छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

ई.डी.एक्स. उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक।

(3) उपकरणः— ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल—4500) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट—डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना—धमकाना आदि।

EDX-8000 उपकरण पर जॉच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः— विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) उपकरणः— ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी—राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

अत्याधुनिक वी.एस.सी. 8000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/ फरोख्त/ हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट–छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय–विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

आधुनिक ई.एस.डी.ए. उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) उपकरणः– स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 8000, रेगुला–4307, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

एच.पी.एल.सी. उपकरण पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः– 1.मादक पदार्थ :– डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :– भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2. मनःप्रभावी पदार्थः– मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3. प्रतिबंधित रसायन :– जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड़, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) उपकरणः– जी.सी.मास, यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायन खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

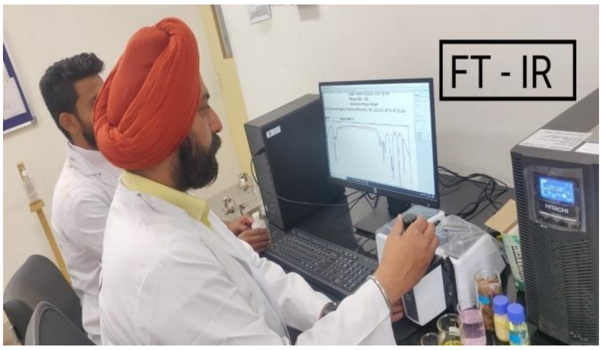

नवस्थापित एफटीआईआर मय एटीआर उपकरण पर निश्चयात्मक परीक्षण करते हुए

(2) भौतिक साक्ष्यः– देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) उपकरणः–गैस क्रोमेटोग्राफ, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः– आगजनी, मिलावट, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट 4,5 एक्सप्लोज़िव एक्ट, धारा 498ए, 302, 307, 120बी आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्यः— ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) उपकरणः—पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गेसोलिन ऐनालाईजर पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

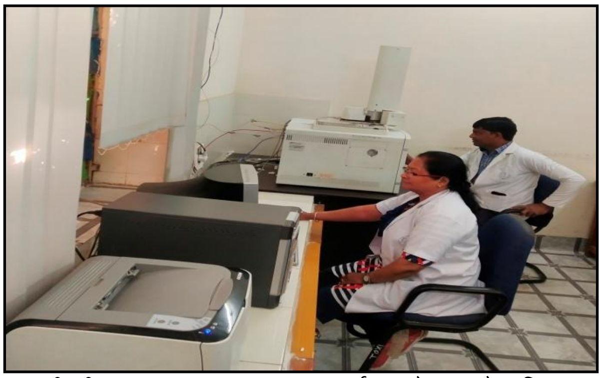

जी.सी.एच.एस. उपकरण पर कार्य करते हुए वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः— विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं इत्यादि।

(3) उपकरणः— यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ. टी. आई. आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ—मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप एवं एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर आदि।

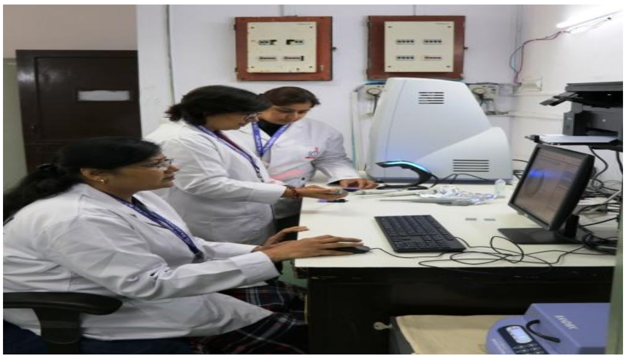

ड्रग परीक्षण करते हुये वैज्ञानिक

फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो—मिलान, अध्यारोपण आदि।

फोटोग्राफ का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः— धोखाधड़ी, जमीन—जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः— एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

पॉलीग्राफ खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः— धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

(2) भौतिक साक्ष्यः— संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) उपकरणः— कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2021 में 840 फोरेंसिक वैज्ञानिकों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसि़व एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वे, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 में जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 में अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का निर्माण हुआ।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
21. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
22. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
23. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
24. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारम्भ किया गया।
25. वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारम्भ हुआ।

संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31–12–2021 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	126	69	57
2.	तकनीकी कर्मचारी	295	157	138
	कुल योग	**421**	**226**	**195**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	अतिरिक्त चार्ज	01
2.	अतिरिक्त निदेशक	04	02	02
3.	उप निदेशक	05	04	01
4.	सहायक निदेशक	39	30	09
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	77	33	44
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	16	27
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	96	63	33
8.	तकनीकी सहायक	01	–	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	78	57	21
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	21	56
	कुल योग	**421**	**226**	**195**

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	–
2.	सहायक लेखाधिकारी	01	01	–
3.	कनिष्ठ लेखाकार	06	04	02
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	06	–
6.	निजी सहायक	01	01	–
7.	शीघ्रलिपिक	02	–	02
8.	वरिष्ठ सहायक	08	07	01
9.	कनिष्ठ सहायक	16	14	02
10.	दफ्तरी	01	01	–
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	17	03
12.	स्वीपर	03	01	02
13.	विसरा कटर	04	03	01
14.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	09	–
15.	कानि0 ड्राईवर	14	13	01
16.	चालक	03	–	03
	कुल योग	**95**	**79**	**17**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2021 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2021–22 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	2300.00	2440.00	2001.18	438.82
2.	यात्रा व्यय (03)	23.00	25.80	19.37	6.43
3.	चिकित्सा व्यय (04)	3.00	11.70	02.74	8.96
4.	कार्यालय व्यय (05)	90.00	95.00	65.63	29.37
5.	वाहन क्रय (06)	0.01	0.01	-	0.01
6.	वाहनों का संधारण (पैट्रोल/डीजल व्यय) (07)	16.00	22.00	15.19	6.81
7.	किराया रोयल्टी व्यय (09)	11.00	12.50	9.31	3.19
8.	मशीनरी एवं उपकरण व्यय (18)	500.00	1100.00	688.42	411.58
9.	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (21)	50.00	80.00	48.10	31.9
10.	प्रशिक्षण (29)	2.00	2.00	0.19	1.81
11.	वाहन किराया (36)	4.01	2.86	1.43	1.43
12.	वर्दी व्यय (37)	0.40	2.20	0.36	1.84
13.	संविदा व्यय (41)	50.00	85.00	49.46	35.54
14.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	21.00	21.00	-	21.00
	कुल योग (आयोजना भिन्न)	**3070.42**	**3900.07**	**2901.38**	**998.69**

(ब) वर्ष 2021–22 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	बृहद निर्माण कार्य (17)	190.00	85.00	13.00	72.00
2.	मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुनः वैदिकरण पुलिस आधुनिकीकरण) (18)	552.00	122.00	8.21	251.79
3.	मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुलिस आधुनिकीकरण) (18)		138.00		
4.	निर्भया फण्ड योजना (18)	7.41	9.00	8.98	0.02
5.	मैन पावर सेवा (41)	264.00	168.00	117.00	51.00
	योग (आयोजना)	**1013.41**	**522.00**	**147.19**	**374.81**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan

Case Statistics from 01-01-2021 to 31-12-2021

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTAL N0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2017	6455	37154	43609	37197	6412
2.	2018	6412	38442	44854	34907	9947
3.	2019	9947	43434	53381	39240	14141
4.	2020	14141	39679	53820	38080	15740
5.	2021	15740	45864	61604	42078	19526

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2021	RECEIVED CASES IN 2021	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2021
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	8803	23445	32248	18470	102568	13778
2.	Regional FSL Jodhpur	1673	7448	9121	7495	43518	1626
3.	Regional FSL Udaipur	1942	7194	9136	7191	27635	1945
4.	Regional FSL Kota	865	1676	2541	1815	8710	726
5.	Regional FSL Bikaner	1088	1926	3014	2427	14081	587
6.	Regional FSL Ajmer	1056	3319	4375	3590	13054	785
7.	Regional FSL Bharatpur	313	856	1169	1090	5631	79
	Grand Total :	**15740**	**45864**	**61604**	**42078**	**215197**	**19526**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1789

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S.NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2021	RECEIVED CASES IN 2021	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2021
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	47	551	598	480	35026	118
2.	Chemistry Division	335	8121	8456	7588	11208	868
3.	Arson & Explosive	105	161	266	108	290	158
4.	Narcotics Division	409	1524	1933	1580	3795	353
5.	Biology Division	192	1884	2076	2016	12821	60
6.	Physics Division	214	449	663	415	2719	248
7.	Polygraph Division	3	14	17	13	70	4
8.	Cyber Forensic Division	840	875	1715	356	2105	1359
9.	Ballistics Division	98	279	377	268	1833	109
10.	Toxicology Division	506	2603	3109	2285	13691	824
11.	Serology Division	19	451	470	465	2812	5
12.	DNA Division	6035	6533	12568	2896	16198	9672
	Total	**8803**	**23445**	**32248**	**18470**	**102568**	**13778**
	Photo Section:	40	1675	1715	1651	Neg. 28922 Print. 25568	64

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2021	CASES RECEIVED in 2021	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2021
					CASES	EXHIBITS	
	REGIONAL FSL, JODHPUR						
1.	Documents Division	47	272	319	262	22220	57
2.	Chemistry Division	1230	5733	6963	5844	11627	1119
3.	Toxicology Division	233	947	1180	943	7309	237
4.	Serology Division	103	289	392	203	1265	189
5.	Biology Division	60	207	267	243	1097	24
	Total	**1673**	**7448**	**9121**	**7495**	**43518**	**1626**
	REGIONAL FSL, UDAIPUR						
1.	Documents Division	5	116	121	113	6467	8
2.	Chemistry Division	558	5187	5745	5092	10148	653
3.	Toxicology Division	375	1014	1389	712	4089	677
4.	Serology Division	373	649	1022	603	3351	419
5.	Biology Division	631	228	859	671	3580	188
	Total	**1942**	**7194**	**9136**	**7191**	**27635**	**1945**
	REGIONAL FSL, KOTA						
1.	Biology Division	118	63	181	176	682	5
2.	Physics Division	29	156	185	143	287	42
3.	Toxicology Division	435	831	1266	893	5120	373
4.	Serology Division	283	626	909	603	2621	306
	Total	**865**	**1676**	**2541**	**1815**	**8710**	**726**
	REGIONAL FSL, BIKANER						
1.	Biology Division	423	159	582	570	3073	12
2.	Physics Division	99	237	336	172	625	164
3.	Ballistic Division	21	87	108	94	1117	14
4.	Toxicology Division	309	926	1235	908	6366	327
5.	Serology Division	236	517	753	683	2900	70
	Total	**1088**	**1926**	**3014**	**2427**	**14081**	**587**
	REGIONAL FSL, AJMER						
1.	Chemistry Division (Liquor cases)	436	2093	2529	2128	4140	401
2.	Toxicology Division	601	1004	1605	1232	7748	373
3.	Serology Division	19	222	241	230	1166	11
	Total	**1056**	**3319**	**4375**	**3590**	**13054**	**785**
	REGIONAL FSL, BHARATPUR						
1.	Biology Division	175	87	262	244	1278	18
2.	Serology Division	64	190	254	245	1129	9
3.	Physics Division	13	90	103	67	168	36
4.	Toxicology Division	61	489	550	534	3056	16
	Total	**313**	**856**	**1169**	**1090**	**5631**	**79**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फोरेन्सिक प्रकरण

1. **रीट पेपर लीक प्रकरण में पेपर वायरल करने सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**
थाना–गंगापुर सिटी, जिला–सवाईमाधोपुर से सम्बंधित एस.ओ.जी. जयपुर के प्रकरण संख्या 402/21 धारा 420, 120 बी आई.पी.सी. व 4/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विधि विरूद्ध तरीके से परीक्षा से पूर्व अनुचित तरीके से पेपर प्राप्त कर उसकी नकल करा परीक्षा दिलाने के कृत्य संबन्धित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से उक्त प्रकरण से संबन्धित रीट पेपर के आपस में आदान प्रदान करने के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

2. **अवैध बजरी खनन प्रकरण में आरोपी के मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण ऐविडेंस की रिकवरीः–**
थाना–दूदू, जिला–जयपुर ग्रामीण द्वारा मुकदमा संख्या 233/2021 धारा 379, 120बी आईपीसी व 4/21 एमएमडीआर एक्ट व आरएमएमसीआर एक्ट 2017 के अन्तर्गत प्रकरण में आरोपी के जप्त मोबाईल फोन से अवैध बजरी खनन/परिवहन में पुलिस कर्मियों/खनिज विभाग के कर्मियों की संलिप्तता उजागर करने सम्बन्धित वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

3. **न्यायाधीश की संदिग्ध मृत्यु के बहुचर्चित प्रकरण में मोबाईल फोन से डाटा की रिकवरीः–**
एक राज्य के माननीय न्यायाधीश की सड़क दुर्घटना में संदिग्ध मृत्यु की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच से सम्बन्धित प्रकरण में जप्त न्यायाधीश के मोबाईल फोन से सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

4. **बलात्कार प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन के डाटा को डिक्रिप्ट कर रिकवरीः–**
थाना–हिण्डोली, जिला–बूँदी द्वारा प्रकरण 72/2020 धारा 376 भा.द.स. एवं 67 आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पीड़िता एवं स्वयं की अश्लील फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को मोबाईल फोन से रिकोर्ड कर विवो मोबाईल की 'आई मैनेजर' एप्लीकेशन के माध्यम से एन्क्रीप्टेड यूजर पार्टिशन में छुपाई गई थी। उन एन्क्रीप्टेड अश्लील फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को उक्त मोबाईल फोन से रिकवर करने पश्चात् इन फाईलों के डिक्रिप्श्न हेतु डवलप की गई पायथन स्क्रीप्ट को मोबाईल फोन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करवाकर उक्त फाईलों को डिक्रिप्ट किया गया। जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

5. **स्थानीय चुनाव में प्रत्याशी के अश्लील विडियो प्रकरण में साक्ष्य की रिकवरीः–**
थाना–एस.ओ.जी राजस्थान जिला–जयपुर के प्रकरण संख्या 63/20 धारा 354क, 506, 120बी भादस व 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट 66डी, 67, 67ए आई.टी एक्ट के अर्न्तगत महिला के अश्लील विडियो को मोबाइल द्वारा इन्टरनेट पर वायरल करने से संबंधित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोनों के वाट्सऐप मैसेज तथा संबंधित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

6. **पेश वाट्सऐप मैसेज को बनावटी साबित करने हेतु मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**
थाना–बिलाडा, जिला–जोधपुर ग्रामीण द्वारा अपराध संख्या 90/2021 धारा 384, 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला द्वारा स्वयं को ब्लेकमेल करने संबंधित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर पुलिस अधिकारी द्वारा पेश वाट्सऐप मैसेज के स्क्रीन शॉट को बनावटी साबित कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

7. **धोखाधड़ी प्रकरण में लेपटोप से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–:–**
थाना–चित्रकूट, जिला–जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण संख्या 212/2019 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भादस अन्तर्गत आरोपी द्वारा परिवादी को बैंक से कम्पनी के व्यवसाय हेतु लोन दिलवाने के नाम पर करोड़ो रूपये ठगने एवं उन रूपयों से स्वयं की कम्पनी हेतु डोमेन, वेबसाईट एस.एस.एल सर्टीफिकेट, पेमेंट गेटवे, डॉमेन होस्टिंग खरीदने हेतु वेब पेजेज को विजिट करने सम्बंधित साक्ष्य की रिकवरी कर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

8. **ब्लेकमेल प्रकरण में सम्बंधित डिलिटेड/एडिटेड फोटो संबंधित साक्ष्य की पहचानः–**
थाना–हलैना, जिला–भरतपुर द्वारा प्रकरण 156/18 धारा 143, 354घ, 509, 384 भादस एवं 66, 67 आई.टी. एक्ट अन्तर्गत जब्त मोबाईल फोनो, पेनड्राईव एवं कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क से पीड़िता के सामान्य फोटोग्राफ से चेहरे को अलग कर अन्य किसी महिला के अश्लील फोटोग्राफ पर मोर्फ कर उसे वायरल करने के नाम पर ब्लेकमेल/योन शोषण करने के प्रयास करने सम्बन्धित केस में महिला के सामान्य फोटोग्राफ, किसी अन्य महिला के ऑरिजिनल अश्लील फोटोग्राफ तथा केस से सम्बंधित महिला के एडिटेड फोटोग्राफ की रिकवरी एवं उसमे एडिटिंग से सम्बंधित राय प्रदान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

9. **सी.बी.आई. एवं एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**
सी.बी.आई. जिला–जयपुर के द्वारा प्रेषित प्रकरण के अन्तर्गत भ्रष्टाचार प्रकरण में यू.आई. डी.ए.आई. के कर्मचारी द्वारा एक संबन्धित फर्म के माध्यम से परिवादी के आधार सेवा केन्द्र की आधार ऑपरेटिंग आई.डी. को रिस्टार करने हेतु पैसे मांगने सम्बन्धित साक्ष्य की वाट्सऐप मैसेज एवं कॉल के डाटा से रिकवरी कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर के प्रकरण संख्या 297/21 धारा– 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 व 120बी भादस के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण भर्ती संस्थान के कार्मिक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा में चयन की ऐवज मे रिश्वत/भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरण में जप्त मोबाइल फोनों से प्रकरण से संबंधित व्हाटस एप मैसेज व अन्य साक्ष्य को रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर द्वारा अपराध संख्या 120/2021 धारा 7, 8, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 201, 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर में पदस्थापित अधिकारियों/अधिवक्ता से रिश्वत/भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन के वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

10. **एन.डी.पी.एस. प्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–**
थाना–एसओजी, जिला–जयपुर शहर द्वारा प्रकरण 52/2020 धारा 8/20, 8/22 एन.डी. पी.एस एक्ट 1985 व धारा 3 पास पोर्ट अधिनियम 1920 व धारा 14 फोरेनर एक्ट 1946 में विदेशी से जप्त मोबाईल फोन से सोशल मीडिया एपलिकेशन जैसे वाट्सएप, टेलीग्राम एवं फेसबुक मैसेंजर से डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

डी.एन.ए. एवं जैविक प्रकरणः–

1. **आठ वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्मः–**
थाना रेलवे कालोनी, जिला कोटा शहर प्रकरण संख्या 396/21, धारा 376 ए बी, आई.पी.सी. व 3/4 पोक्सो एक्ट, में बैर खिलाने के बहाने ले जाकर 08 वर्षीय अबोध बालिका के साथ पड़ोसी द्वारा किये गये दुष्कर्म के अतिसंवेदनशील प्रकरण में जैविक, सीरम एवं डी.एन.ए. परीक्षण कर मात्र 24 घंटे में डीएनए रिपोर्ट देकर राष्ट्रीय स्तर पर रिकार्ड स्थापित किया गया।

2. **नौ वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरणः–**
थाना कोटखावदा, जिला जयपुर दक्षिण प्रकरण संख्या 215/21, धारा 376 ए बी, आई.पी.सी. व 5/6 पोक्सो एक्ट, में दुकान से सामान लेकर लौट रही 09 वर्षीय अबोध बालिका के साथ हुये दुष्कर्म के अतिसंवेदनशील प्रकरण में जैविक, सीरम एवं डी.एन.ए. परीक्षण कर मात्र 4 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। इस कारण न्यायालय द्वारा घटना से मात्र 9 दिवस में अपराधी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी। जिसके लिये राजस्थान के मुख्यमत्री महोदय द्वारा एफएसएल की प्रशंसा की गयी।

3. **नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रकरण का खुलासाः–**
पुलिस थाना–सुकेत, जिला–कोटा ग्रामीण अभियोग संख्या 82/2021, के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संगीन मामले में प्रकरण से जुड़े हुए समस्त प्रादर्शों में सीमित समय में वीर्य की उपस्थिति ज्ञात कर प्रादर्शों को अग्रिम परीक्षण हेतु डी.एन.ए. अनुभाग को अग्रेषित किया एवं अल्प समय में प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भिजवाई। तत्पश्चात् संबंधित प्रादर्शों का डी.एन. ए. परीक्षण किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा

उपरोक्त प्रकरण में 14 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई एवं एक युवती और एक युवक को 4–4 साल की सजा सुनाई गई।

4. **बस दुर्घटना में 12 व्यक्तियों की जलने से हुई मृत्यु में शवों का डीएनए परीक्षण से शिनाख्तः–**
पुलिस थाना– पचपदरा, जिला– बाड़मेर के प्रकरण संख्या 335/21, में बस दुर्घटना में 12 व्यक्तियों की जलने से मृत्यु हो गयी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि शवों की पहचान करना प्रशासन के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। शवों की पहचान डीएनए तकनीक से करने के लिए शवों के सैम्पल तथा उनके संभावित जैविक संबंधियों के रक्त सैम्पल की जाँच प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की टीम ने दिन–रात कार्य करके अति अल्प समय में सभी शवों की पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शवों की पहचान के उपरांत शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

5. **नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टिः–**
पुलिस थाना– सुकेत, जिला– कोटा के प्रकरण संख्या 82/21, में एक नाबालिग के साथ 09 दिन लगातार सामूहिक दुष्कर्म की डीएनए की पुष्टि हुई। उक्त प्रकरण में 21 अभियुक्तों ने पीड़िता के साथ अलग–अलग स्थानों पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म की पुष्टि हेतु पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान लिए गये सैम्पलों तथा संभावित मुल्जिमों के सैम्पलों का प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण किया गया। डीएनए परीक्षण के आधार पर इस प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई तथा माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

6. **08 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी की पहचानः–**
पुलिस थाना– अनादरा, जिला–सिरोही के प्रकरण संख्या 128/20, में 08 वर्षीय एक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी की डीएनए से पुष्टि हुई। प्रकरण में मृतका, घटनास्थल एवं आरोपी से लिये गये सैम्पलों पर डीएनए परीक्षण किया गया, जिसमें मृतका के वेजाईनल स्वाब एवं मृतका के टॉपर से जब्त बाल से आरोपी के डीएनए का मिलान कर आरोपी की पहचान साबित हुई। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को फाँसी की सजा दी गई।

7. **दुष्कर्म के मामले में गर्भपात के बाद भ्रूण एवं आरोपी की पहचानः–**
पुलिस थाना– उदयपुरवाटी, जिला– झुंझुनू के प्रकरण संख्या 542/19, में एक दुष्कर्म के मामले में गर्भपात के बाद भ्रूण एवं आरोपी की डीएनए से पहचान हुई। उक्त प्रकरण में प्रारंभिक जाँच में दुष्कर्म का मामला झूठा बताया गया, परन्तु बाद में पीड़िता के गर्भपात भ्रूण की डीएनए जाँच की गई, जिसमें भ्रूण से आरोपी की पहचान साबित हुई तथा आरोपी को 19 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार डीएनए जाँच इस प्रकरण में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

8. **साथी की पत्नी के साथ दुष्कर्म की पुष्टिः–**
पुलिस थाना– मुरलीपुरा, जिला– जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण संख्या 570/19, के प्रकरण में आरोपी द्वारा साथी की पत्नी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि डीएनए से हुई। उक्त प्रकरण में पीड़िता के सैम्पलों एवं आरोपी के सैम्पलों से डीएनए परीक्षण किया गया, जिससे पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा दी।

9. **सात वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरणः–**
थाना पादूकला, जिला नागौर प्रकरण संख्या 249/21, धारा 376 ए बी, 302, 377 आई.पी.सी. व 5/6 पोक्सो एक्ट, में 07 वर्षीय अबोध बालिका के साथ मुंहबोले मामा द्वारा किये गये जघन्य दुष्कर्म एवं हत्या के अतिसंवेदनशील प्रकरण में जैविक, सीरम एवं डी.एन.ए. परीक्षण कर मात्र 5 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट दी गयी। न्यायालय द्वारा अपराधी को फॉसी की सजा से दण्डित करने में डीएनए रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्थापित हुई।

10. **ग्यारह वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरणः–**
पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर प्रकरण संख्या 128/21, धारा 376 ए बी, 302, 201आईपीसी व 3/4,5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट, में पहाड़ी पर बकरियां चराने गयी 11 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा किये गये दुष्कर्म एवं हत्या के अतिसंवेदनशील प्रकरण में जैविक, सीरम एवं डी.एन.ए. परीक्षण कर मात्र 3 कार्य दिवस में डीएनए रिपोर्ट देकर अपराधी की पहचान सुनिश्चित की गयी। न्यायालय द्वारा अपराधी को फॉसी की सजा से

दण्डित करने में एफएसएल की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना।

11. **दस वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्मः—**
पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 308/21,धारा 323, 341, 376 ए बी आईपीसी व 3,4, 5,6 पोक्सो एक्ट में स्कूल से लौट रही 10 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा किये गये दुष्कर्म के अतिसंवेदनशील प्रकरण में जैविक, सीरम एवं डी.एन.ए. परीक्षण कर शीघ्रता से डीएनए रिपोर्ट देकर अपराधी की पहचान सुनिश्चित की गयी। वैज्ञानिक ठोस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अपराधी को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कठोर कारावास की सुनायी गयी।

विष प्रकरण :

1. **शराब दुखान्तिका में कीटनाशक की उपस्थिति का खुलासाः—**
थाना मांडलगढ़, जिला—भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 27/2021, धारा, 304,328 आई.पी.सी. एवं 16/54 ,क्साइज एक्ट के क्रम में शराब दुखान्तिका से पाँच लोगो की मृत्यु के मामले में प्रयोगशाला द्वारा संबंधित मृतकों के विसरा व अन्य जांच प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण पश्चात नींद की गोलियां तथा कीटनाशक की उपस्थिति बताने से अनुसंधान अधिकारी को अंनुसंधान में नवीन दिशा मिली जिसके पश्चात उक्त प्रकरण से संबधित आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में अल्प समयावधि में परीक्षण कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की गई।

2. **विसरा के संदिग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टिः—**
थाना जोबनेर जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रकरण संख्या 148/20 धारा 302, 354 आई.पी.सी. व 3-1 (आर) (एस) (डब्यू), 3—2 (वी.ए.) एससी /एसटी एक्ट से संबंधित प्रकरण में मृतका के विसरा प्प्ति तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त अन्य प्रादर्श प्रयोगशाला में जमा करवाए गए। प्रकरण मृतका की संदिग्ध अवस्था में फांसी खाने से संबंधित था, जिसके विसरा परीक्षण में सिन्थेटिक पाइरेथ्राइड की उपस्थिति रिपोर्ट की गई जिससे अनुसंधान को नई दिशा मिली।

3. **महिला की संदिग्ध हत्या का प्रकरणः—**
थाना खोह—नागोरियान, जिला—जयपुर (पूर्व) प्रकरण संख्या 285/2021, धारा 498ए, 304बी आई.पी.सी. प्रकरण मृतका की संदिग्ध अवस्था में हत्या कर दफनाने से संबंधित था। उक्त प्रकरण में परिजनों के संदेह जाहिर करने पर मृतका के शव को पुनः कब्र से बाहर निकाल कर विसरा प्रादर्शों को रासायनिक परीक्षण के लिए विष अनुभाग में जमा करवाया गया। रासायनिक परीक्षण पश्चात उक्त प्रादर्शों में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर की उपस्थिति बताकर अनुसंधान एवं प्रकरण में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया गया।

4. **जॉच में जहर से मौत की पुष्टिः—**
थाना— भट्टा बस्ती, जिला—जयपुर उत्तर के अंतर्गत मर्ग संख्या 12/2021 धारा 176 सीआरपीसी व प्रकरण संख्या 204/2021 धारा 498ए, 304बी, 120बी आईपीसी प्रकरण में मृतका की संदिग्ध व अज्ञात वस्तु खिलाकर हत्या से संबंधित था। मामले में ससुराल वालों ने विवाहिता की मौत के बाद आइसक्रीम खाते हुए बेहोश होने एवं साईलेंट अटैक की बात कही थी। विसरा परीक्षण की परीक्षण रिपोर्ट में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर की उपस्थिति बताकर अनुसंधान में सहयोग दिया गया।

5 **करंट लगने के संभावित प्रकरण में जहर की पुष्टिः—**
पुलिस थाना—करडा, जिला—जालौर मर्ग संख्या—04/21 धारा—174, सीआरपीसी के अंतर्गत मृतक के परिजनों द्वारा खेत में करंट युक्त तारबंदी से करंट लगने से मृत्यु होना मानकर शव को दफना दिया गया। तत्पश्चात् संदेह उत्पन्न होने पर पुनः शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की गई। जिसमें मृतक के विसरा में कीटनाशक की उपस्थिति पाई गई। जिससे प्रकरण में अनुसंधान को नई दिशा मिल सकी।

6 **फूड पाइजनिंग के संभावित प्रकरण में ड्रग की पुष्टिः—**
पुलिस थाना—सरदारपुरा, जिला—जोधपुर (पश्चिम) मुकदमा संख्या—07/21 धारा—328 आईपीसी में एक परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद तबीयत खराब होने पर फूड पॉइजनिंग मानकर अस्पताल में भर्ती हुए। अनुभाग में प्राप्त चारों सदस्यों के खून, गेस्टीक लेवेज व शेष बचे भोजन के नमूनों में नशीली दवाई (बेन्जोडायाजेपाइन ट्रेंक्युलाइजिंग ड्रग) की उपस्थिति पाई गई। जिससे घरेलू नौकरों द्वारा लूट की नीयत से टमाटर सूप व रोटी में नशीली दवाई (बेन्जोडायाजेपाइन ट्रेंक्युलाइजिंग ड्रग मिलाए जाने की पुष्टि की गई। जिससे अनुसंधान को नई दिशा मिल सकी।

7 **नींद की गोली देकर हत्या का प्रकरणः–**
पुलिस थाना– बासनी, जिला– जोधपुर (पश्चिम) मर्ग संख्या–24/21 धारा–176, सीआरपीसी के अंतर्गत मृतका का शव होटल में संदिग्ध अवस्था में मिला। प्रकरण में अनुभाग द्वारा परीक्षण उपरांत नशीली दवाई (बेन्जोडायाजेपाइन ट्रेंक्युलाइजिंग ड्रग) की उपस्थिति पाई गई। अनुसंधान में आरोपी द्वारा नींद की गोलियां देने के बाद गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार किया गया।

8 **टांके में डूबोकर मारने के प्रकरण में कीटनाशक की पुष्टिः–**
पुलिस थाना– शिव, जिला–बाड़मेर मुकदमा संख्या–220/21 धारा–302, 309 आईपीसी के अंतर्गत पिता सहित चार बच्चियों के पानी के टांके में डूबने पर टांके से निकाल गया, जिसमें चार बच्चों की मृत्यु हो गई तथा पिता अचेत अवस्था में मिला। प्रकरण में भिजवाए गए नमूनों में परीक्षण के बाद कीटनाशक दवा की उपस्थिति बताई गई और पिता द्वारा भी कीटनाशक दवा को पिलाना स्वीकार किया गया। जिससे अनुसंधान को नई दिशा मिल सकी।

9 **सर्पदंश के संभावति प्रकरण में कीटनाशक की पुष्टिः–**
पुलिस थाना–कांमा जिला– भरतपुर मुकदमा संख्या 279/2020 धारा 302, 201 आइपीसी प्रकरण में 27 वर्षीय विवाहिता युवती के ससुराल पक्ष ने युवती के परिजनों को युवती के सर्पदंश से मृत्यु प्रादर्शों में विभिन्न रसायनिक परीक्षण पश्चात क्लोरीनेटेड ऑर्गेनोफोस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति पाई गई जिससे ससुराल पक्ष द्वारा विष देकर हत्या कारित किए जाने के जघन्य अपराध की पुष्टि हुई।

10 **अपहरण के इरादे से नींद की गोली देने की पुष्टिः–**
पुलिस थाना–कोतवाली जिला–सवाईमाधोपुर मुकदमा संख्या 403/2021 धारा 366, 34 आइपीसी प्रकरण में नाबालिग बालिका को अपवित्र करने के लिए अपहरण किए जाने के संदर्भ में बालिका को बहला फुसला कर बालिका से उसके माता–पिता को सब्जी में मिलाकर नींद की गोली दिलवाई संबंधित प्रकरण में बालिका के माता–पिता के रक्त एवं यूरिन सेम्पल में बेंजोडाइएजिपाइन ट्रैंक्युलाइजिंग ड्रग की उपस्थिति पाई गई जिससे घटना सत्यापित हुई और पुलिस अनुसंधान को सहायता मिली।

11 **प्राकृतिक मृत्यु लग रहे प्रकरण में जहर की पुष्टिः–**
पुलिस थाना गोपालगढ जिला– भरतपुर मर्ग संख्या 01/2020 धारा–174 सी आर पी सी में जंगल में मानसिक तौर पर मंदबुद्धि अज्ञात युवती का शव मिला। शव की शिनाख्त पश्चात युवती के परिजनों द्वारा गोपालगढ थाने में दर्ज एफ आई आर में ठंड से मृत्यु होने के प्रकरण में मृतका के विसरा, हाथों की धोवन एवं अन्य प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण पश्चात एल्युमिनियम फॉस्फाइड फ्यूमिंगेट की उपस्थिति पाई गई। जिससे मृत्यु का कारण प्राकृतिक के स्थान पर आत्महत्या या हत्या स्थापित हुआ एवं पुलिस अनुसंधान को प्रकरण जांच में नई दिशा मिली।

12 **हत्या के प्रकरण में जहर की पुष्टिः–**
पुलिस थाना–सावर, जिला– अजमेर, प्रकरण संख्या 276/21,धारा– 302, 201, 379, 328, आईपीसी 3(2) (वी) एससी/एसटी एक्ट प्रकरण में मृतका की मृत्यु गला दबाने के कारण होने का संदेह था परंतु प्रयोगशाला में जमा किए गए विसरा के रासायनिक परीक्षण के बाद एल्युमिनियम फोस्फाइड की उपस्थिति बताई गई। जिससे अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

13 **संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना की पटापेक्षः–**
पुलिस थाना–क्लॉक टॉवर, जिला– अजमेर, प्रकरण संख्या 215/21, धारा– 304बी आईपीसी प्रकरण में मृत का अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत प्रकरण में विसरा और ब्लड सैंपल के रासायनिक परीक्षण के उपरांत कारबॉक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति बताई गई। जिससे अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

14 **दहेज हत्या प्रकरण में करंट लगने से संदिग्ध मौत की घटना में जहर की उपस्थितिः–**
पुलिस थाना–ब्यावर सिटी, जिला–अजमेर, प्रकरण संख्या 751/21,धारा–498ए, 304बी आईपीसी में करंट लगने से मृत्यु प्रकरण में विसरा और स्वेब नमूनों के रासायनिक परीक्षण के बाद आर्गेनोक्लोरो इनसेक्टिसाइड की उपस्थिति बताई गई जिससे अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

प्रलेख प्रकरणः

1. **चैकों की राशि में फेरबदल का प्रभावः–**
थाना–बनीपार्क, जिला जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण सं. 140/20 में प्राप्त विवादग्रस्त 27 चैंको का परीक्षण किया गया। इन चैकों पर पूर्व की लिखी हस्तलिखित लिखावट व अंको को मिटाकर पुनः लिखावट व अंक लिखे गये थे। अत्याधुनिक उपकरण वीएससी–8000 की सहायता से डीसाइफर कर पूर्व की लिखावट व अंको को पढ़ने योग्य बनाया जाकर महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी। इस प्रकरण में चैकों पर लिखावट को परिवर्तित कर 03 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि का हेरफेर किया गया था।

2. **जाली करेन्सी नोटों के प्रकरणः–**
थाना–करधनी, जिला जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण संख्या 110/21 तथा थाना–छबड़ा, जिला बांरा के प्रकरण संख्या 131/21 में प्राप्त करेन्सी नोटों, व सादा पेपरों का परीक्षण कर उनके जाली/फर्जी करेन्सी नोट व पेपर होने के संबंध में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

3. **आत्महत्या प्रकरणः–**
थाना–सामोद, जिला जयपुर (ग्रामीण) के प्रकरण सं. 245/21 मे एक व्हाइट बोर्ड प्राप्त हुआ था, जिस पर सुसाइड नोट लिखा गया था। इस बोर्ड (अपारम्परिक सतह) पर लिखी गई लिखावट का मृतक की पूर्व में नोटबुक पर अंकित लिखावट से परीक्षण कर राय प्रदान की गई।

4. **भर्ती परीक्षा सम्बन्धित ओएमआर शीट का परीक्षणः–**
थाना–एसओजी राज. जयपुर के प्रकरण संख्या 04/21 में 13 ओएमआर शीट में किये गये परिवर्तनों का परीक्षण कर उत्तरों में फेरबदल के संबंध में राय प्रदान की गयी। इन दस्तावेजों का परीक्षण कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

5. **इम्प्रेशन लिखावट का परीक्षणः–**
थाना–बरोनी, जिला टोंक के प्रकरण संख्या–एमपीआर नम्बर 02/21 में प्राप्त नोटबुक में खाली पेपर पर आये विवादित इन्डेन्टेशन/इम्प्रेशन लेख को उपकरणों की सहायता से डीसाइफर कर प्रकरण के अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

6. **वसीयतनामा के फर्जी होने का खुलासाः–**
थाना–खोह नागोरियान, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या 01/21 मे प्राप्त दस्तावेजों मे असल व्यक्ति के हस्ताक्षरों को स्केन कर आश्रम की जमीन का वसीयतनामा बना लेने का आरोप था। इन दस्तावेजों व हस्ताक्षरों का परीक्षण कर इस वसीयतनामा के फर्जी होने के सम्बन्ध में राय प्रदान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की।

7. **दस्तावेज में कांट छांट का परीक्षणः–**
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी के प्रकरण संख्या 478/14 में प्राप्त विवादग्रस्त स्टाम्प पेपर पर सफेद द्रव पदार्थ (व्हाइट करेक्टींग फल्यूड) लगाकर पूर्व की लिखावट पर पुनः लिखावट लिखने का अरोप था। इस दस्तावेज पर सफेद द्रव पदार्थ के नीचे लिखी पूर्व की लिखावट को अत्याधुनिक उपकरण की सहायता से डीसाइफर कर महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

रसायन एवं आर्सन एवं एक्सप्लोजिव प्रकरणः

1. **रासायनिक पदार्थों की पुष्टिः–**
प्रकरण नं. 131/21 धारा 489डी, 420, 120बी आईपीसी के अंतर्गत तीन अज्ञात रसायन रसायनिक परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। इन रसायनों का रासायनिक परीक्षण किया जाकर सोडियम क्लोराइड, आयोडीन विलयन एवं सोडियम थायो सल्फेट होने की पुष्टि की गई। ये रसायन ठगों द्वारा काले कागज से नोट बनाने का झांसा देकर ठगी करने में काम लिये जा रहे थे।

2. **धोखाघड़ी प्रकरण में गोल्ड तथा सिल्वर की पुष्टिः–**
मु. न. 64/2021 धारा 420, 406, 120बी आईपीसी थाना महाजन, बीकानेर के अन्तर्गत दो व्यक्तियों द्वारा सोने चाँदी के गहने चमकाने का प्रलोभन देकर एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला को सोने तथा चाँदी के आभूषणों को अपने पास रखे रसायनों में डूबो कर साफ करके दिया गया। वृद्ध महिला द्वारा चाँदी व सोने के गहनो के वजन में कमी आने पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गई। प्रकरण मे पुलिस द्वारा मुल्जिमो से बरामद लिक्विड रसायनों का परीक्षण करने पर गोल्ड तथा सिल्वर घातु की उपस्थिति पाई गई।

3. **तरल पदार्थ का भारतीय मानकों अनुसार परीक्षणः–**
जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त प्रकरण के अंतर्गत एक तरल पदार्थ जिसे डीजल

मानकर डिटेन किया गया था। डीजल के परीक्षण हेतु अनुभाग में प्राप्त हुआ। इस तरल पदार्थ का भारतीय मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाकर डीजल नहीं होने की पुष्टि की गई। साथ ही उक्त तरल पदार्थ का फ्लैश पाइंट 2 डिग्री से. भी रिपोर्ट किया गया जो कि भारतीय मानकों के अनुसार डीजल के फ्लैश पाइंट 35 डिग्री से. न्यूनतम की तुलना में अत्यधिक कम होने से पदार्थ के अति ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में होने की पुष्टि भी की गई। इससे जांच एजेन्सी को सुरक्षात्मक दृष्टि से उचित कार्यवाही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नारकोटिक्स प्रकरणः—

1. **मादक पदार्थों की पुष्टिः—**
थाना चित्रकूट, जिला—जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 216/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण में संदिग्ध के पास सफेद रंग का पदार्थ जप्त किया गया जिसे एमडीए पाउडर बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण पर वह पदार्थ मेथएमफीटामाइन कोकीन का मिश्रण बताया गया। जिससे अनुसंधान को नई दिशा मिली।
2. **रासायनिक परीक्षण से मेफिड्रोन की पुष्टिः—**
थाना—श्याम नगर, जिला—जयपुर (दक्षिण) प्रकरण संख्या. 254/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण में सफेद रंग का दानेदार पदार्थ जप्त किया गया जिसे एमडीए पाउडर बताया गया। उक्त प्रादर्श के रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण पर इसकी मेफेड्रोन (4-मिथाईलमेथकेथेनोन) होने की पुष्टि की गई।
3. **स्मैक की जगह अन्य मादक पदार्थों की पुष्टिः—**
थाना—मुरलीपुरा, जिला—जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या. 285/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना— सारोला कलां जिला झालावाड़, प्रकरण संख्या. 180/2021, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना— भालता, जिला— झालावाड़ प्रकरण संख्या. 151/2021 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं थाना— कोतवाली, जिला—दौसा प्रकरण संख्या. 418/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत प्रकरणों में एक एक पदार्थ जप्त किया गया ,जिसे स्मैक पदार्थ बताया गया। उक्त प्रादर्शों का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने पर वह पदार्थ स्मैक के स्थान पर बेंन्जोडाइजेपाइन ग्रुप एवं अन्य दवाईयों को मिश्रण बताया गया।
4. **नशीले पदार्थ की पुष्टिः—**
थाना डांगियावास जिला जोधपुर मु. न. 68/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत संदिग्ध से 90हउ एमडीएमए जब्त किया गया। उक्त पदार्थ के केमिकल व इन्स्ट्रूमेन्टल विश्लेषण करने पर इसमें स्टिमूलेन्ट एनडीपीएस ड्रग मेथएमफीटामाइन की उपस्थिति पाई गई।

अस्त्रक्षेप प्रकरणः—

1. **पुलिस एनकाउंटर में मौत का प्रकरणः—**
पुलिस थाना—सदर जिला—बाडमेर प्रकरण संख्या 136/21 के अंतर्गत पुलिस एनकाउंटर में मारे गये एक व्यक्ति की मृत्यु के संबन्ध मे प्राप्त हथियार, कारतुस, वाहन के पार्ट्स, कपड़ों इत्यादि की जांच करके प्रकरण मे महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
2. **महिला हत्या प्रकरणः—**
पुलिस थाना—मासलपुर, जिला—करौली प्रकरण संख्या 288/20 धारा 302,34 आईपीसी के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में एक हडडी का टुकडा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ जिस पर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
3. **हत्या प्रकरण की अस्त्रक्षेपीय जांचः—**
पुलिस थाना—हरमाड़ा जिला—जयपुर (पश्चिम) प्रकरण संख्या 921/19 धारा 302, 34ए120बी आईपीसी के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखो की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।
4. **एनकाउंटर में मौत का प्रकरणः—**
पुलिस थाना—रातानाड़ा जिला—जोधपुर (पूर्व) प्रकरण संख्या 419/21 के अंतर्गत अपराधियों व पुलिस के मध्य फायरिंग में एक व्यक्ति की एनकाउंटर में मृत्यु के संबंध में प्राप्त हथियारों, गन शॉट कारतूस, बुलेट, हाथ व घाव से लिए गये प्रादर्शो के परीक्षण संबंधित जांच कर अनुसधांन को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।
5. **बच्चे की हत्या सम्बन्धी प्रकरणः—**
पुलिस थाना—गोविन्दगढ़ जिला—अलवर प्रकरण संख्या 71/21 धारा 302ए 307 आईपीसी और

3/25 आर्मस एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में लोहे की जाली का टुकडा, लकडी के टुकडे, बुलट का टुकडा, राईफल, कारतूस खोखा, धातु के टुकडे व कण की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

6. **लड़की की हत्या का प्रकरण:–**
पुलिस थाना–कोटड़ा जिला–उदयपुर प्रकरण संख्या 81/20 धारा 302 आईपीसी और 3/25 आर्मस एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में एक गन, कपडा, छर्रे व चमडी के अवशेष की अस्त्रक्षेपीय जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

भौतिक प्रकरण:

1. **स्कार्पियो व मोटरसाइकिल में टक्कर का प्रकरण:–**
पुलिस थाना–बहरोड़, जिला–भिवाड़ी के अन्तर्गत प्रकरण संख्या : 257/21, धारा–302, 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत एक मोटरसाइकिल चालक की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु से सम्बंधित प्रकरण में दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल, संदिन्ध स्कार्पियो वाहन व घटनास्थल से लिए गये साक्ष्यों का परीक्षण कर तथा दोनों वाहनों पर मिले भौतिक साक्ष्यो के आधार पर दोनों वाहनों के मध्य हुई दुर्घटना से सम्बंधित राय प्रदान की गयी, प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

2. **अवैध डोडाचूरा की तस्करी व पुलिस कांस्टेबल की हत्या के प्रकरण में महत्वपूर्ण जाँच:–**
पुलिस थाना–कोटडी, जिला–भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या–72/21, पुलिस थाना–रायला, जिला– भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या–55/21 व पुलिस थाना–भीम, जिला–राजसमन्द के प्रकरण संख्या–194/2021 के अन्तर्गत अवैध डोडाचूरा की तस्करी के समय नाकाबंदी के दौरान पुलिस जाप्ते पर की गयी गोलीबारी से दो पुलिस कांस्टेबल की हत्या से सम्बंधित प्रकरण में संदिग्ध स्कार्पियो, एक संदिग्ध इसुजु वाहन तथा घटनास्थल से लिए अन्य भौतिक साक्ष्यो के आधार पर भौतिक अनुभाग द्वारा तीनो चौपहिया वाहनों के घटनास्थल पर होने की पुष्टि की गयी तथा वाहनों के असली चेसिस नम्बर रिस्टोर किये गये।

3. **दुष्कर्म व हत्या के प्रकरण में पदचिन्हों व उन पर लगी मिट्टी का मिलान:–**
पुलिस थाना–पादूकलां, जिला–नागौर के प्रकरण संख्या–249/21, धारा–363, 376(ए)(बी), 377, 302, 201 आईपीसी व 11/12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत एक सात वर्षीय बालिका के साथ हुए दुराचार व हत्या से सम्बधित प्रकरण में आरोपी के पदचिन्हों के डिजिटल फोटोग्राफ्स, आरोपी के सैंडल पर लगी मिट्टी व घटनास्थल से ली गयी कण्ट्रोल मिट्टी के परीक्षण के आधार पर भौतिक अनुभाग द्वारा आरोपी के घटनास्थल पर होने की पुष्टि की गयी, जिससे प्रकरण के निस्तारण में सहायता मिली । उक्त प्रकरण में माननीय पोक्सो न्यायालय, मेड़ता द्वारा आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

4. **एनकाउंटर प्रकरण में वाहन की पहचान एवं पेंट का परीक्षण:–**
पुलिस थाना–सदर बाड़मेर, जिला–बाड़मेर के प्रकरण संख्या–136/21 के अन्तर्गत राज्य के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर प्रकरण में राजस्थान पुलिस द्वारा कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भौतिक अनुभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा पुलिस थाना–सदर बाड़मेर में खड़े दो इसुजु वाहनो के असली चेसिस नम्बर रिस्टोर किये गये, जिससे वाहन के असली मालिक की पहचान संभव हो सकी तथा पुलिस थाना–सांडेराव के प्रकरण संख्या–30/21, धारा–186, 332, 353, 307 आईपीसी से सम्बंधित प्रकरण में पुलिस थाना–सदर बाड़मेर में जप्तशुदा इसुजु वाहन की बॉडी पर पेंट/रंग का परीक्षण किया गया, जिससे उक्त वाहन की वक्त घटना उपस्थिति की पुष्टि बाबत अनुसन्धान अधिकारी को सहायता मिली।

5. **सोयाबीन तेल परिवहन के समय हुई हेराफेरी में साक्ष्यो की जांच:–**
पुलिस थाना–चाकसू, जिला–जयपुर (दक्षिण) के प्रकरण संख्या–340/21 के अन्तर्गत एक टैंकर वाहन चालक द्वारा असंतुलित होकर पानी में गिर जाने के कारण टैंकर में भरा लगभग 33 टन 960 किलोग्राम सोयाबीन तेल अज्ञात राहगीरों द्वारा जरिकेनो में भरकर ले जाने की संदिग्ध घटना में भौतिक अनुभाग द्वारा जप्त टैंकर तथा टैंकर के पांचो ढक्कन का गहनता से निरीक्षण किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर टैंकर के चार धात्विक ढक्कनो पर नट्स के कसने के बाद ढक्कनों को बलपूर्वक/दबाव से टूटने/खुलने के भौतिक साक्ष्य नही पाए जाने तथा पांचवे ढक्कन को बाह्य बल से तोड़ने की सम्भावना व्यक्त की

गयी, जिससे प्रकरण को सही दिशा मिली तथा प्रकरण का खुलासा किया जा सका।

6. **गोल्ड स्मगलिंग प्रकरण में आवाज़ व अन्य प्रादर्शों का परीक्षणः—**

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के राष्ट्रीय स्तर पर चचित गोल्ड स्मग्लिंग प्रकरण संख्या— RC-36/20/NIA/DLI, धारा—US 16 of UA(P) Act 1967 एवं 120 बी आईपीसी में जयपुर एयरपोर्ट पर विदेश से भारत में आने वाले व्यक्तियों से लगभग 18.50 किलो सोना (गोल्ड) इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाने के प्रकरण में परीक्षण कर जप्तशुदा 11 इमरजेंसी लाइट में गोल्ड बार/बिस्किट रखे जाने सम्बन्धी राय प्रदान की गयी। साथ ही प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों के नमूना आवाज रिकॉर्ड किये जाने का कार्य भौतिक अनुभाग द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल तथा सीबीआई ऑफिस जयपुर में किया गया तथा प्रयोगशाला में परीक्षण कर आरोपियों की विवादित वार्ता का मिलान नमूना आवाज से किया गया।

7. **आवाज़ मिलान जाँच में फर्जी निकला रिश्वत की डिमांड का ऑडियोः—**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या—89/21, धारा—7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 में परियोजना अभियंता, (वरिष्ठ) विद्युत राजस्थान आवासन मंडल के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत से सम्बन्धित प्रकरण में भेजे गये विवादित ऑडियो में उपलब्ध आवाज की जाँच आरोपी की नमूना आवाज से करने पर भौतिक अनुभाग द्वारा विवादित डिमांड के ऑडियो में उपलब्ध आवाज आरोपी की नही होने की पुष्टि की, जिससे प्रकरण को एक नई दिशा मिली तथा एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर एसीबी द्वारा कोर्ट में एफआर प्रस्तुत की गयी।

8. **जेनेरेटर से विधुत बैकफीड होने का प्रकरणः—**

पुलिस थाना अनन्तपुरा, जिला कोटा शहर मुकदमा नं0 331/21 धारा 302, 34 आईपीसी व 3(2)(व) एससी/एसटी एक्ट, के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज विद्युत लाईन पर कार्य करते समय बिजली कम्पनी के.ई.डी.ल. में कार्यरत संविदा कर्मी की विद्युत करन्ट लगने से मृत्यु हो जाने के परिवाद में घटना के समय विद्युत तंत्र में विद्युत प्रवाहीत होने की तकनीकी जांच करवाकर विद्युत तंत्र में विद्युत का प्रवाह ऋषभ एन्टरप्राईजेज की फैक्ट्री में लगे हुये 25 केवीए जनरेटर से विद्युत बेकफीड के कारण घटना घटित होना अंकित किया गया तथा प्रकरण का अनुसंधान तकनीकी आधार पर करवाया जाना चाहा गया। उक्त प्रकरण में एफएसएल के वैज्ञानिको ने विद्युत तंत्र में विद्युत प्रवाह ऋषभ एन्टरप्राईजेज की फैक्ट्री में लगे 25 केवीए के जनरेटर से विद्युत के बेकफीड होने की सम्भावना के क्राईमसीन का रिकंसट्रक्शन किया तथा रिकंसट्रक्शन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऋषभ इन्टरप्राइजेज फैक्ट्री में लगे 25 केवीए के विद्युत जनरेटर से घटनास्थल स्थित ट्रांसफार्मर की एचटी लाईन में विद्युत के बेकफीड होने से घटना घटित होना नही पाया।

घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. **अपराधियों व पुलिस के मध्य फायरिंग प्रकरणः–**
प्रकरण सख्यां 419/21 पुलिस थाना रातानाडा जिला जोधपुर पूर्व में अपराधियों व पुलिस के मध्य फायरिंग में व्यक्ति की मृत्यु की घटनास्थल का पुनर्निर्माण घटनास्थल पर किया गया। पुलिस वाहन (कार) पर दायें आगे के दरवाजे पर तथा आगे बायी ओर बम्पर पर एक छेद पाया गया। मृतक के वाहन के बायें दरवाजे पर छः छेद पाये गये। घटनास्थल पुननिर्माण में मेडिकल ज्युरिष्ट द्वारा बतायी गयी चोट फायर की दिशा अनुरूप पायी गयी। ड्राईवर सीट से एक बुलेट रिकवर की गयी।

2. **बहुचर्चित पुलिस एन्काउन्टर प्रकरणः–**
प्रकरण संख्या 136/21 पुलिस थाना सदर जिला बाड़मेर में पुलिस एनकाउंटर में एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल का पुनर्निर्माण किया गया। घटनास्थल पुनर्निर्माण के दौरान अभियुक्त के वाहन व पुलिस वाहन पर समान ऊँचाई पर टक्कर पायी गयी एवं पुलिस कार्मिक की स्थिति से फायर की दिशा, व्यक्ति की चोटो व वाहन का फायर की दिशा के अनुरूप पायी गयी।

3. **आत्महत्या घटना प्रकरण में घटनास्थल पुनर्सरंचना**
पुलिस उपायुक्त जोधपुर (पश्चिम) के द्वारा थाना कुड़ी भगतासनी में पंजीकृत तथाकथित फांसी लगा कर आत्महत्या (हैंगिंग) किये जाने के प्रकरण में घटनास्थल पुनर्सरंचना हेतु निवेदन किया गया । विधि विज्ञान दल द्वारा वैशाली ऑर्बिट जोधपुर स्थित घटनास्थल पर पहुंच कर मृत्योपरांत परीक्षण करने वाले चिकित्सक (AIIMS जोधपुर), पुलिस अधिकारीयों व मृतक के परिजनों की उपस्थिति में घटनास्थल पुनर्सरंचना का कार्य किया गया। घटनास्थल पुनर्सरंचना के दौरान अवलोकित तथ्यों, मृत्योपरांत परीक्षण कार्य करने वाले चिकित्सक तथा अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर विधि विज्ञान दल इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सफल रहा कि उपरोक्त प्रकरण में फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

4. **दुर्घटना प्रकरण में घटनास्थल पुनर्सरंचनाः–**
पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के द्वारा थाना पचपदरा में पंजीकृत तथाकथित वाहनों की दुर्घटना प्रकरण में घटनास्थल पुनर्सरंचना हेतु निवेदन किया गया। विधि विज्ञान दल द्वारा जोधपुर–पचपदरा नेशनल हाईवे 25 स्थित घटनास्थल पर पहुंच कर पुलिस अधिकारीयों व वाहनों के मालिकों की उपस्थिति में घटनास्थल पुनर्सरंचना का कार्य किया गया । घटनास्थल पुनर्सरंचना के दौरान अवलोकित तथ्यों तथा पुलिस अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर विधि विज्ञान दल इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सफल रहा कि उपरोक्त प्रकरण में लापरवाही पूर्वक सडक पर मोड़ होने पर भी ओवरटेक करना तथा सम्मुख वाहन के विपरीत दिशा में जाकर बचाव का प्रयाश करना दुर्घटना की प्रथम दृष्टया मुख्य वजह होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

5. **संदिग्ध हत्या प्रकरण में घटना का पुनर्निर्माणः–**

प्रकरण संख्या –49/21 धारा–302 आईपीसी व 3(2)(वीए) एससी/ एसटी एक्ट थाना–गुडागौडजी जिला–झुंझनु से सम्बन्धित प्रकरण में एफ.एस.एल द्वारा में घटनाथल का निरीक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। घटनास्थल में घटना वाले दिन लिये गये फोटो तथा मृतक के अनुमानित वजन के आधार पर डमी को दो

बार अलग अलग प्रकार से उसी स्थान से गिराया गया तथा पुनः गणना की गई जिसमें लिगेचर (गर्दन पर बने निशान) की गॉठ की दिशा, हुक से गर्दन पर बने लिगेचर के निशान एवं खाटपर शरीर के छुने की स्थिति के आधार पर अनुसंधान अधिकारी को निष्कर्ष तक पहुचने के साक्ष्य दिए गए।

6. **घटनास्थल का पुनर्निर्माणः–**

प्रकरण संख्या– 410, दिनांक 30.08.2021, धारा– 302 भा.द.स., थाना–सांचोर, जिला–जालौर से सम्बन्धित प्रकरण में घटनाथल का निरीक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया गया । प्रकरण को हल करने के लिए पुनर्निर्माण 03 प्रयास किए गए। पूर्न निर्माण के आधार पर घटना के होने का आंकलन किया गया। जिसमें डमी की गर्दन पर बने निशान की दिशा, लिगेचर पैटर्न एवं जमीन पर शरीर के छुने की स्थिति के आकंलन के आधार पर अनुसंधान अधिकारी को अतिमहत्वपूर्ण साक्ष्य दिए गए।

7. **महिला की हत्या प्रकरण का खुलासाः–**

पुलिस थाना– शिप्रापथ, जिला–जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 37/21, धारा 449, 459, 302, 394 आई.पी.सी. के प्रकरण में, पड़ोसी ने टीन की छत से नंगे पावं चढ़कर पड़ोसी अकेली महिला की हत्या प्रकरण में मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, द्वारा अपराध घटना स्थल का निरीक्षण करने पर टीनो की छत पर मिट्‌टी, डस्ट पर नंगे पांवो के निशान पाये जाने पर उस निशानो का प्राथमिक आधार पर मेजरमेन्ट करके पड़ोसी युवक के नंगे पांवो के निशान लेकर उस आधार पर युवक का हत्या में लिप्त होने का खुलासा कर अनुसंधान में योगदान दिया।

8. **बेसमेन्ट के फर्श में दबे लोहे के बक्सों में से भूमिगत सुरंग के द्वारा चांदी की सिल्लियां चुराने का खुलासाः–**

पुलिस थाना– वैशाली नगर, जिला–जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 99/21 धारा 457, 380 आई पी सी के क्रम में एक निजी अस्पताल के बेसमेन्ट के फर्श में दबे लोहे के बक्सें मे रखी लगभग 500 किलोग्राम चांदी की सिल्लियाँ (ब्रिक्स) की चोरी होने की घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मोबाइल फोरेसिंक यूनिट टीम द्वारा चोरी के लिये बनायी गयी भूमिगत सुरंग के दूसरे सिरे का अन्य दूसरे मकान के अन्दर ग्राउण्ड फ्लोर के फर्श पर लगी ताजा फर्श टाईल्स को तोड़कर पुराने चिप्स मार्बल के फर्श को तोड़ने के निशान व आकार के स्थान पर लगभग 10 फीट 06 ईंच गहराई में पर पाया जाना बताया गया।

9. **गैंगरेप प्रकरण का खुलासाः–**

पुलिस थाना–सदर, जिला–अलवर के अंतर्गत प्रकरण–619/21, धारा 376डी आईपीसी के क्रम में एक महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सीलीसेड झील पर बहते हुए रोड पर निजी चार पहिया वाहन में गैंगरेप होने का प्रकरण दर्ज हुआ। मोबाइल यूनिट द्वारा गाड़ी के सीट कवर्स पर, संदिग्ध लोगों के अंडरगारमेंट्स पर

एवं घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया गया । सीमन के प्रारम्भिक परीक्षण के नकारात्मक पाए जाने के आधार पर मोबाइल यूनिट द्वारा प्रकरण के मिथ्या होने की संभावना व्यक्त की गई। प्रकरण के खुलासे उपरांत प्रकरण मिथ्या ही पाया गया। इस तरह अनुसंधान में सहयोग किया गया।

10. बांरा–छिलोड़ी में दो हत्याओं का खुलासाः–

पुलिस थाना–राजगढ़ जिला–अलवर अंतर्गत प्रकरणों–520/21 व 522/21 के संबंधित हत्याओं में दो लोगों को अलग–अलग घटनास्थल पर धारदार हथियार से वार करके मार दिया गया जहां घटनास्थल टीम ने मृतकों के घाव की स्थिति, ब्लड पैटर्न की स्थिति (दोनों घटना स्थलों पर रक्त के छींटे शव से प्रथम घटनास्थल में लगभग 2–3 फीट दूरी पर दीवार पर मृतक की चारपाई से लगभग 1 फीट ऊपर तथा दूसरे घटनास्थल में मृतक की चारपाई से 2–3 फीट दूरी पर व एक फीट ऊंचाई पर बेड पर रखे बोतल पर पाए गए) को देखकर दोनों घटनाओं में समानता व्यक्त की गई तथा इस प्रकार का ब्लड पैटर्न व घाव किसी वजनदार धारदार हथियार से होने की संभावना व्यक्त की गई। प्रकरण के खुलासा उपरांत दोनों घटनाओं के लिए एक ही हत्यारा पकड़ा गया तथा दोनों प्रकरणों में धारदार फावड़ा उपयोग में लिया गया था।

11. हत्या कर शव जमीन में दबाये जाने के प्रकरण का खुलासाः–

पुलिस थाना– भांकरोटा, जिला–जयपुर शहर (पश्चिम) के अंतर्गत प्रकरण संख्या– 239/21, धारा 302, 201 आई.पी.सी. के क्रम में, एक व्यक्ति का शव खाली जमीन में दबाये जाने पर मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, द्वारा जमीन से बाहर निकाले गए शव का परीक्षण करने पर मृतक का चेहरा थैली (प्लास्टिक) से ढका पाया तथा गला तार से बंधा पाया व आंख के ऊपर चोट के निशान व शव को लाने मे प्रयुक्त कार में मानव खून पाये जाने के साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रकरण का खुलासा हुआ।

12. संदिग्ध परिस्थिति में हुई मृत्यु व शव को जला देने का प्रकरणः–

पुलिस थाना–खेड़ली, जिला–अलवर के अंतर्गत प्रकरण संख्या–204/21, धारा–498ए, 304बी, 201 आईपीसी के क्रम में एक महिला की मृत्यु फांसी से बताई गई तथा शव को जला दिया गया। मोबाइल यूनिट ने पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा बारीकी से देखा गया तो कमरे में लगी सभी खूंटियों पर धूल और जाले लगे थे तथा कमरे का दरवाजा भी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं था अन्य सभी आलामत को देखकर मोबाइल यूनिट ने हत्या की संभावना व्यक्त की, बाद में पुलिस के अनुसंधान में महिला का हत्यारा उसका पति

पाया गया। इस तरह अनुसंधान में सहयोग किया गया।

13. मकान के अन्दर से दीवार टूटने के प्रकरण का खुलासाः—

पुलिस थाना—हरमाड़ा, जिला—जयपुर शहर (पश्चिम) के अंतर्गत प्रकरण संख्या— 234/20, धारा 323, 341, 336, 427, 458, 143, 509, 380 आई.पी.सी. व प्रकरण संख्या—238/20 504, 457, 380, 427 आई.पी.सी. के क्रम में, मकान की दीवार के तोड़े जाने का मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, द्वारा गहन निरीक्षण करने पर पाया कि कमरे की दीवार कमरे के अन्दर से बल की दिशा बाहर की ओर पायी गयी तथा दीवार की टूटी ईटों तथा चूने वाली दिशा की तरफ चोटो के निशान पाये गये तथा पड़ोसी के मकान के अन्दर लगा दरवाजा पूर्व में वहा लगा होना पाया जाने के आलामात मिले जिससे दीवार कमरे की अन्दर से टूटने का खुलासा कर अनुसंधान में योगदान दिया।

14. ट्रोला व कार की परस्पर टक्कर का खुलासाः—

पुलिस थाना—गोविन्दगढ़, जिला—जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 214/21 धारा 304ए, 279, आई पी सी के क्रम में कार मालिक द्वारा ट्रोले की टक्कर से कार को क्षतिग्रस्त किये जाने का मामला दर्ज कराया गया। मोबाइल फोरेसिंक यूनिट द्वारा घटनास्थल, कार, ट्रोला का निरीक्षण करने के बाद कार के स्पीडोमीटर की सुई द्वारा कार की ओवरस्पीड़ के कारण डिवाईडर के दूसरे तरफ से आ रहे ट्रोला ट्रक के सामने वाले हिस्से से टक्कर होना बताया गया जिससे अनुसंधान में सहयोग मिला।

15. मकान में पूरे परिवार की हत्या/आत्महत्या का खुलासाः—

पुलिस थाना— वैशाली नगर, जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 10/21 धारा 302 आई.पी.सी. के क्रम में एक कमरे के अन्दर दो बच्चे, एक महिला का शव फर्श पर तथा पति का शव छत में लगे कुँदे से लटका हुआ पाया गया। मोबाइल फोरेसिंक यूनिट टीम के घटनास्थल निरीक्षण के बाद मृतक पति के हाथ व पैर पर लगे रक्त, कमरें मे पाये गये रक्त रंजित चाकू, कमरे के गेट की अन्दर वाली मुड़ी हुयी आगल व कुंदे के आधार पर मृतक द्वारा पत्नी व दोनो बच्चों की हत्या कर स्वयं पति द्वारा आत्महत्या करने की सम्भावना बतायी गयी।

16. लिंचिंग प्रकरण का खुलासाः—

पुलिस थाना—चौपानकी जिला—भिवाड़ी के अंतर्गत प्रकरण 244/21 धारा—302, 143, 506 आईपीसी में एक बालक की बोलेरो से टक्कर मारकर हत्या करने के प्रकरण में मोबाइल टीम द्वारा प्रकरण से संबंधित घटनास्थल रोड़ व वाहन का निरीक्षण किया गया। जहां बोलेरो के ड्राइवर साइड के अगले पहिए पर मानव रक्त की उपस्थिति पाई गई इसके उपरांत तावड़ू थाना परिसर में खड़े हुए अन्य संदिग्ध वाहन आइसर कंट्रा (जो की अनुसंधान में बोलेरो गाड़ी के आगे गति कर रही थी पाई गई है) का निरीक्षण किया गया जिसके ड्राइवर साइड के अगले मडगार्ड पर मिट्टी में मानव रक्त हेतु किए गए टेस्ट के परिणाम सकारात्मक पाए गए। इस पहलू ने प्रकरण को लिंचिंग से मोड़कर अनुसंधान हेतु अग्रषित किया।

17. फायरिंग में एक महिला की हत्या के प्रकरण का खुलासाः—

पुलिस थाना—मानसरोवर, जिला—जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत प्रकरण संख्या— 597/21, धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट के क्रम में, एक महिला की फायरिंग में मृत्यु होना बताया जिसमें मोबाईल फोरेन्सिक युनिट, द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण करने पर घटना घटित कमरे में महिला के शव के पास एक पिस्टल, एक बुलेट, मृतका के सिर से रक्त निकलना व कमरे के फर्श पर एक खाली खोखा कारतूस तथा शव के पास एक बेग व जिन्दा कारतूस व एक मेगजीन पाये गये साक्ष्यो के आधार पर प्रकरण के खुलासे में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

18. पुलिस वाहन में स्वतः आग लग जाने की घटना का खुलासाः—

पुलिस लाईन, जयपुर ग्रामीण के रपट नम्बर 66/21 के क्रम में पुलिस लाईन, जयपुर ग्रामीण के परिसर में एम.टी. शाखा के सामने खड़े पुलिस वाहन (महिन्द्रा थार जीप) में स्वतः आग लग जाने की घटना घटित होना बताया, जिसमें मोबाइल फोरेसिंक यूनिट टीम द्वारा जली हुयी अवस्था में जीप का निरीक्षण करने पर शार्ट सर्किट द्वारा जीप में स्वतः आग लगना बताया गया। जिससे अनुसंधान में सहयोग मिला।

19. नाबालिक बालिका से बलात्कार/हत्या का प्रकरणः—

पुलिस थाना—पुष्कर, जिला—अजमेर के अंतर्गत प्रकरण संख्या— 128/21, धारा— 376ए, 376,एबी, 302, 201 आईपीसी व ¾, 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में एक 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार कर पत्थर से हत्या कर दी गई। घटनास्थल यूनिट अजमेर द्वारा तत्काल इस गंभीर प्रकरण का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से परिस्थितिजनक साक्ष्यों की पहचान कर उन्हें उचित रूप से संकलित करवा कर डी.एन.ए. करवाने के निर्देश पुलिस को प्रदान किए गए।

उक्त प्रकरण में दोषी को पोक्सो कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

20. हत्या कर शव को अन्यत्र स्थान पर फेंकने का प्रकरणः–

पुलिस थाना–दरगाह, जिला अजमेर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 95/21 धारा 302, 342, 34 आईपीसी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को मार पीटकर शव को हताई चोक के पास दरगाह में एक कबुतरखाने में पटक कर चले गये। मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट ने अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया, मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए, परंतु घटनास्थल पर संघर्ष के साक्ष्यों की अनुपस्थिति व अन्य परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर मारपीट अन्यत्र स्थान पर किए जाने की संभावना व्यक्त की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उसी प्रकरण में दरगाह स्थित एक जनरल स्टोर का निरीक्षण करने पर दुकान को पानी से धोए जाने के बावजूद उक्त दुकान में लकड़ी के चारपाई के नीचे रक्त के धब्बों का मिलना पाया गया व कुर्सी पर एक काले रंग का केबल तार मिला जिस पर रक्त की उपस्थिति पाई गई। उक्त साक्ष्यों की मदद से प्रकरण के खुलासे में सहायता प्रदान की गई।

21. युवक की संदिग्ध मौत हत्या साबित हुईः–

थाना–बुढ़ादीत, जिला–कोटा ग्रामीण के अंतर्गत प्रकरण संख्या 64/21 की धारा 302 एवं 120बी आईपीसी प्रकरण में एक व्यक्ति की उसके घर पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी जिसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना जा रहा था। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल व शव का निरीक्षण कर मौक पर मिले लाल रंग के रबर के टुकड़ों, धूल मिट्टी, मृतक के कपड़ों पर लगे धूल मिट्टी, गर्दन पर मिले निशान/लीगेचर मार्क्स के आधार पर युवक की आत्महत्या न होकर हत्या होने का संदेह जताया गया। फलतः पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इस दिशा में किए जाने से मुल्जिम तक पहुंचने में मदद मिली तथा प्रकरण का खुलासा हुआ।

22. नाबालिग लड़की से बलात्कार का प्रकरणः–

पुलिस थाना–सुकेत, जिला–कोटा (ग्रामीण) प्रकरण संख्या–82/21, धारा–363, 376 डीए आईपीसी, 5(जी)/6,16/17 पोक्सो एक्ट, 3(2) (वीए) एससी एसटी एक्ट, एक नाबालिग लड़की के साथ झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर 9 दिन तक रेप होने संबंधी मामला दर्ज हुआ। प्रकरण में मोबाईल फोरेसिंक यूनिट ने घटना के लंबे समय बाद विभिन्न घटनास्थलों का गहन निरीक्षण कर कपड़े, कंडोम, बेडशीट, चद्दर आदि साक्ष्य संकलित करवाये। घटनास् थलों पर मिले अति महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उचित प्रकार से पैक व सील करवाकर डीएनए परीक्षण के लिए एफएसएल भिजवाने हेतु आई ओ को मौके पर ही निर्देशित किया। मौके पर मिले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के डीएनए का मिलान मुल्जिम मोब पीड़िता के डीएनए सैंपल से होने से आरोप सिद्ध होने में अहम् भूमिका रही। माननीय न्यायलय कोटा द्वारा इस मामले में एक युवती व एक आरोपी को चार–चार साल तथा 14

अन्य आरोपियों को बीस–बीस साल की सजा सुनाई गई।

23. दहेज हत्या प्रकरण का खुलासाः–

पुलिस थाना– क्लॉकटॉवर, जिला–अजमेर, के अंतर्गत प्रकरण संख्या–215/20, धारा–304 आईपीसी के क्रम में एक नवविवाहित महिला का शादी के दो दिन बाद ससुराल में बने बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यू की सूचना प्राप्त होने पर मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट, द्वारा अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यथा– बाथरूम के अंदर लगे गीजर, उचित वेंटिलेशन का अभाव इत्यादि के आधार पर फोरेन्सिक यूनिट द्वारा घटनास्थल पर बाथरूम का दरवाजा बंद होने के बाद गैस को लंबे समय तक चालू रहने की स्थिति में बाथरूम के अंदर आक्सीजन की कमी के चलते विषैली गैस–कार्बन मोनोक्साइड से गैस गीजर पॉइजनिंग की संभावना व्यक्त की गई। तत्पश्चात विष अनुभाग आर एफ एस एल अजमेर द्वारा भी मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा पोस्टमार्टम लिए गए मृत के रक्त सैंपल में भी कार्बोक्सि हीमोग्लोबिन की पुष्टि की गई। जिससे प्रकरण का खुलासा संभव हुआ।

24. किशोरी से गैंगरेप व हत्या का प्रकरणः–

पुलिस थाना–बसोली, जिला–बूंदी, प्रकरण संख्या–106/21 धारा– 302, 201 376, (2)(I), 376(2) (एम) आईपीसी व पोक्सो एक्ट प्रकरण में जंगल/क्लोजर में एक किशोरी की गैंगरेप व हत्या से संबंधित घटना हुई, जिसमें रात्रि में मोबाइल फोरेसिंक यूनिट द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों मृतका की चप्पलें, रक्त के स्पॉट, खून आलूदा पत्थर इत्यादि को खोजा गया तथा मृतका के गले पर लीगेचर मार्क्स की उपस्थिति के आधार पर गला घोंटकर हत्या करना बताया गया। संदिग्ध व्यक्ति के कपड़ों पर लगे रक्त की उपस्थिति के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की पुष्टि हुई।

25. तीन दिन पुरानी लाश प्रकरण में हत्या के साक्ष्यः–

पुलिस थाना–नैनवा जिला–बूंदी, प्रकरण संख्या–172/21 धारा–302, 201 आईपीसी प्रकरण में नैनवा थाना के अंतर्गत एक मकान में एक बुजुर्ग महिला की तीन दिन पुरानी लाश मिलने की सूचना पर रात्रि में मोबाइल फोरेसिंक यूनिट द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों मृतका की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों तथा अन्य साक्ष्यों को खोजा गया। दूसरे कमरे के दरवाजे पर टंगी साफी पर रक्त के धब्बे मिलने से मामला सामान्य मौत का न होकर साफी से गला दबाने से हत्या का होना सामने आया।

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9414301466 ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. राखी खन्ना, उपनिदेशक (प्रशिक्षण), एफ.टी.आर.आई.	9529791877 ई–मेल: deputydirectortrg.fsl@rajasthan.gov.in
श्री राजवीर, उपनिदेशक (घटनास्थल) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान	9413385401, 9414249466 ई–मेल: rajveer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. अजय शर्मा, अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259, 9783309066 ई–मेल: rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह, उप निदेशक प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133, 9460343351 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. राखी खन्ना, उप निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड, कोटा–324009	0744–2401644, 2400644, 9529791877 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
डॉ. संजय शर्मा, उप निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला , 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555, 9414478543 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
डॉ.आम्रपाली सिन्हा, सहायक निदेशक, प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581, 9929953199 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ए–94 रणजीत नगर, भरतपुर–321001	05644–294390, 9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में वर्ष 2021 में स्थापित किये गये प्रमुख उपकरणों की सूची

S.No.	Name of Item	No. of Item	Amount cost (In Rupees)
1.	PCR Machine Along With Thermo Mixer	1	897750.00
2.	Electronic Balance	1	295837.00
3.	Reciprocating Shaker	1	199972.00
4.	Up gradation of existing VSC 6000	1	631300.00
5.	Compound Upright Microscope	1	1330875.00
6.	Fourier Transmission Infra-Red Spectrometer With A.T.R.(FT-IR with A.T.R.)	1	1958150.00
7.	Evidence Investigator Bio Chip Array Technology Analyzer	1	7497000.00
8.	Mobile Phone Forensic Tool Kit And Accessories for Mobile Phone Forensic Lab	2	6408875.00

विशेष पहल एवं वर्ष 2021 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल राजस्थान द्वारा वर्ष 2021 में कुल 42078 प्रकरणों का परीक्षण कर रिकार्ड स्थापित किया, जो कि एफ.एस.एल राजस्थान के इतिहास में एक वर्ष में परीक्षण किये गये प्रकरणों का उच्चतम स्तर है।
2. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों आदि के डी.एन.ए. प्रकरण के त्वरीत निस्तारण के लिए वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
3. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों को प्राथमिकता पर परीक्षण किया जा रहा है।

   विशेषतः शून्य से 12 वर्ष तक के अबोध बालक/ बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर परीक्षण कर रिपोर्ट 5 से 15 दिवस में उपलब्ध करायी जा रही है। इन प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु एक विशेष क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है।
4. एफ.एस.एल की डीएनए आदि की परीक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध कराये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2021 में 20 से अधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषियो को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । इस प्रकार एफ.एस.एल द्वारा अपराधसिद्धि की दर बढाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

   उक्त वर्णित कई प्रकरणों में तो गवाहो के बयान से मुकर जाने के बावजूद एफ.एस.एल रिपोर्ट के वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही दोषियो को सजा सुनाई गई।
5. आई.सी.जे.एस. प्रोजेक्ट के अंर्तगत विकसित ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर एफ.एस.एल. राजस्थान के प्राप्त व निष्पादित प्रकरणों का डाटा अपलोड तथा समस्त आन्तरिक कार्यप्रणाली के समस्त फॉर्म, रजिस्टर आदि का डिजिटलाईजेशन कर ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निकाले जा रहे है।

भविष्य की योजना

1. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अजमेर में डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ किया जाना है।
2. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में अति आधुनिक साईबर फोरेन्सिक खण्ड हेतु पृथक भवन निर्माण करना।
3. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।
4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकोटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।
5. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पांच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।

झलक–2021

साईबर फोरेंसिक खण्ड तथा डी.एन.ए. खण्ड का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा क्षे.वि.वि.प्रयोगशाला जोधपुर के डी.एन.ए खण्ड के वर्चुअल उदघाटन अवसर पर पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियो को जोधपुर में डी.एन.ए खण्ड की जानकारी देते हुए निदेशक

न्यायिक अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

निर्भया फण्ड के उपयोग हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियो का एफ. एस. एल. विजिट

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
कोटा

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

- राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N
(Not to scale)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

नेहरु नगर, जयपुर–302016

वेबसाईट : www.home.rajasthan.gov.in/SFSL